

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ राज.

दिनांक:- / / 2015

कमांक:-भू.अ./2015/

प्रेषिति,

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
चित्तौडगढ

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी / प्रार्थीयन श्री तुलसीराम पिता परमानन्द नि.
धोसुण्डा प.ह. धोसुण्डा के राजस्व ग्राम धोसुण्डा में जमाबन्दी संवत् 2018 -
2081 की खाता संख्या 192 में जमि/नाम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.
ने सम्मानजनक जमि/नाम परमानन्द किये जाने की रिपोर्ट की है।
सम्मानजनक जमि/नाम परमानन्द का अकन राजस्व रिकार्ड में किया जाना
उचित है। दोनों जातियां (पूर्व एवं वर्तमान संशोधन से संबंधित जाति) अनुसूचित जाति
श्रेणी के ही अन्तर्गत आती है / दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है।

जाति संशोधन की स्थिति में राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42
(बी) का उल्लंघन भी नहीं होता है। अतः संशोधन किया जाना उचित है।

तहसीलदार चित्तौडगढ

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ राज.

कमांक:-रीडर/2015/ 826

दिनांक:-17/10/2015

निमित्त,

पटवार हल्का धोसुण्डा

विषय:-सम्मानजनक जमि/नाम दर्ज करने बाबत।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 136

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी / प्रार्थीयन के अनुसार श्री तुलसीराम पिता परमानन्द
राजस्व ग्राम धोसुण्डा प.ह. धोसुण्डा की खाता संख्या 192 में
जमि/नाम परमानन्द दर्ज है। जिसे सम्मानजनक करने हेतु रिपोर्ट जांच व
पहचान प.ह. व भू.अ.नि. द्वारा की गई है। तहसीलदार चित्तौडगढ द्वारा भी जमि/नाम
सम्मानजनक किये जाने की अनुशंषा प्राप्त हुई है।

अतः प्रार्थी / प्रार्थीयन श्री तुलसीराम पिता परमानन्द की
जमि/नाम परमानन्द एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत संशोधित दर्ज
करने की स्वीकृत एतद् द्वारा दी जाती है। प.ह. धोसुण्डा राजस्व रिकार्ड में
उपरोक्तानुसार अमल की पालना पेश करे।

। प्रतिलिपि:-तहसीलदार चित्तौडगढ पालना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ

उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ